

(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}


न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

श्री सीमेन्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान।	-बनाम-	बीरबल पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी चोढाणी तहसल नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान आदि।
किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दीवानी		मु.नं. 23 / 2022 RCMS No


आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------

14.10.22 प्रार्थना पत्र बाबत कैवियट आवेदक की ओर से वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

  
 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

28/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़

16/1/23


पत्रावली पेश हुई। जाबत आदेशों के अन्तर्गत कार्य स्थगित किया गया है। अतः पत्रावली अग्रिम दिनांक 20.2.23 को पेश हो।

20/2/23

पत्रावली पेश हुई। आज आदेशों के अन्तर्गत कार्य स्थगित किया गया है। अतः पत्रावली अग्रिम दिनांक 13/4/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री चन्द्रकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में वाद-प्रस्तुत होने पर आवेदक को सुना जाने हेतु प्रार्थना पत्र तलब की जावेगी। पत्रावली दिनांक 28.12.2022 को पेश हो।

प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2022 को दर्ज की गई। प्रार्थना पत्र की दर्ज हुई तारीख 03 माह से अधिक समय हो चुका है। उक्त अवधि के दौरान न्यायालय द्वारा मेरे कैवियट में दर्ज खसरा नम्बर के संबंध में कोई प्रकार का प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैवियट उलियापत्र की प्रतिलिपि अर्थात् 10 डिग्री है जो कि पत्रावली की प्रतिलिपि कैवियट प्रतिलिपि पर अवधि पार होने से अर्थात् पत्रावली में कोई कैवियट नहीं रहता है अतः प्रार्थना पत्रावधि के अंतर्गत से इसी स्वरूप पर खालि किया जाता है। पत्रावली केवल शुद्धात् ही दर्ज की जावेगी। अतः से अर्थात् पत्रावली के बाद तकमील जाया कैवियट पत्र है।

  
 ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)  
 नवलगढ़